

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क.: 1287 / 2014

संस्थित दि: 30 / 12 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

1. गणेश राहगडाले पिता सोनूलाल, उम्र 52 साल, जाति पंवार,
निवासी चीनी थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. सूरजलाल पिता हीरालाल कटरे, उम्र 60 साल, जाति पंवार,
निवासी चीनी थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. संतोष कुमार पिता सूरजलाल, उम्र 40 साल, जाति पंवार,
निवासी चीनी थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)..... आरोपीगण

— :: **निर्णय** :: —

(आज दिनांक 30 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336 / 34 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 24 / 11 / 2014 को समय 01:30 बजे ग्राम चीनी गणेश राहगडाले का आंगन थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक थ्रेसर मशीन के चक्का के पास जाली न लगाकर आहत प्रहलाद को व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी प्रहलाद ने दिनांक 25.11.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध

कराई कि गणेश राहंगडाले ने अपने आंगन बाड़ी में धान मसने के लिए थ्रेसर लगाया था। थ्रेसर से वह, श्याम, सवेरा एवं दुर्गाजी धान मसने का काम कर रहे थे। उसे गणेश राहंगडाले ने काम पर लगाया था। मशीन थ्रेसर में चक्का के पास जाली नहीं लगाई, जिससे दिनांक 24.11.2014 को रात्रि के 01:30 बजे थ्रेसर के चक्के में उसका शाल फस गया, जिससे शाल उसके गले में फंसा तो वह गिर गया। उसे गले में चोट आई। गणेश राहंगडाले ने ईलाज के लिये बोला लेकिन उसने ईलाज नहीं कराया और न ही पैसा दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 173/14 अन्तर्गत धारा 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337, 336, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण तथा फरियादी के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 के आरोप में उन्मोचित किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/34 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।

(04) आरोपीगण को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/34 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाई व समझाई गई।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपीगण ने दिनांक 24/11/2014 को समय 01:30 बजे ग्राम चीनी गणेश राहंगडाले का आंगन थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक थ्रेसर मशीन के चक्का के पास जाली न लगवाकर आहत प्रहलाद को व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया ?

— :: सकारण — निष्कर्ष :: —

(06) आरोपीगण को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/34 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।

(07) आरोपीगण के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/34 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/34 के आरोप में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

(08) अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(09) आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/34 के आरोप के अन्तर्गत 250/—, 250/— (दो सौ पचास रुपये—दो सौ पचास रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर आरोपीगण को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50—ए.3256 एवं मल्टीकॉप थ्रेसर सुपुर्दनामा पर है। सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला, बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट